



पत्रांक सं०:- 265 / नि०ख० बुन्देलखण्ड-02/ AC - 11 / 18 दिनांक:- 02/03/2024

### अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों से निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्माण कार्य हेतु ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बाँदा में निम्न विवरण के अनुसार खोली जायेगी। कार्य की मात्राएँ बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	घरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय इन्टर कालेज महोबा में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लॉक्स का निर्माण कार्य	17.63	0.35	1000.00 + 18% GST	03 माह
2	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय गंगासिंह इंटर कालेज चरखारी में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लॉक्स का निर्माण कार्य	17.63	0.35	1000.00 + 18% GST	03 माह
3	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय बालिका इन्टर कालेज चरखारी में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लॉक्स का निर्माण कार्य	17.63	0.35	1000.00 + 18% GST	03 माह
4	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय इन्टर कालेज श्रीनगर में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लॉक्स का निर्माण कार्य	17.63	0.35	1000.00 + 18% GST	03 माह
5	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय इन्टर कालेज जैतपुर में स्वच्छ पाइप पेय जल की सुविधा, बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लॉक्स एवं मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	59.25	1.19	3000.00 + 18% GST	04 माह
6	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय बालिका इन्टर कालेज जैतपुर में स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा, बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लॉक्स एवं 05 नग अतिरिक्त कक्ष-कक्षाओं का निर्माण कार्य	92.72	1.85	3000.00 + 18% GST	06 माह
7	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल पिपरामाफ में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लॉक्स का निर्माण कार्य	17.63	0.35	1000.00 + 18% GST	03 माह
8	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल ज्यौरईया में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
9	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल रिर्विसुनैचा में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
10	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल कुलकआं में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
11	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल सिंधनपुरबधारी में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
12	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल सुरहा में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
13	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल पूनियां में स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा एवं बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लॉक्स का निर्माण कार्य	21.28	0.43	1500.00 + 18% GST	03 माह
14	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल शिवहार में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
15	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल सूपा में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
16	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल मौहारी में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
17	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल रावतपुरा में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
18	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल मजगुवा खुर्द में स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा एवं मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	41.63	0.83	1500.00 + 18% GST	04 माह



19	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल इंद्रहटा में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
20	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल लमौरा में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
21	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल सुगिरा में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
22	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल महुआ बांध में स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा, बालक-बालिकाओ हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लाक्स एवं मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य	59.25	1.19	3000.00 + 18% GST	04 माह
23	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल बिजरारी में स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा एवं मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	41.63	0.83	1500.00 + 18% GST	04 माह
24	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल सिलालपुरा में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
25	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल दुलारा में बालक-बालिकाओ हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लाक्स एवं मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	55.59	1.11	3000.00 + 18% GST	04 माह
26	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के राजकीय हाईस्कूल नैपुरा में मल्टीपरपज हाल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
27	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज अजरन में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
28	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज कनकुआं में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
29	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज रिवई में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य	37.97	0.76	1500.00 + 18% GST	04 माह
30	प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद महोबा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज विचारा में स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा एवं मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य	41.63	0.83	1500.00 + 18% GST	04 माह

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start	07.03.2024 (03:00 PM)
Document Download End	15.03.2024 (03:00 PM)
Bid Submission Start	07.03.2024 (03:00 PM)
Bid Submission Closing	15.03.2024 (03:00 PM)
Technical Bid Opening	15.03.2024 (04:00 PM)
Financial Bid Opening	To be notified later

## ई-निविदा हेतु नियम व शर्तें

- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यू0टी0आर0 के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय इकाई के खाते में जमा किया जाना होगा। वॉछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। जनरल सिक्योरिटी जमा होने पर अपेक्षित सिक्योरिटी से कम होने पर अंतर धनराशि धरोहर धनराशि के रूप में उक्त बैंक खाते में उक्त नियत तिथि व समय तक जमा करना अनिवार्य होगा खाते का विवरण निम्नवत् है-  
**Name of Holder** : **EX. ENGG., NIRMAN KHAND, BUNDELKHAND-02, BANDA**  
**Account No.** : **380401010034555**  
**IFSC Code** : **UBIN0538043**  
**Name of Bank / Branch** : **Union Bank of India, Pili Kothi, Chhawni Banda, U.P.**
- निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमत्त होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।



- 6- निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए टेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व टेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर ले क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
- 7- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
- 8- निविदादाता/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बुन्देलखण्ड-2, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, बांदा के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करनी होगी।
- 9- अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित टेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप में माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
- 10- निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
- 11- निविदा प्रपत्र के साथ ही टी-4, टी-5, अर्थात् वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- 12- निविदादाता/फर्म को वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है फर्म को नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से भुगतान किया जाएगा।
- 13- टेकेदार/फर्म के देयक से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जाएंगे की कटौती की जाएगी।
- 14- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।
- 15- समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराए जाएंगे।
- 16- जी0पी0डब्लू0 फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
- 17- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में टेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए टेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 18- निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
- 19- सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 20- कार्य के अन्तिम बीजक का भुगतान कार्य सम्बन्धित विभाग को गुणवत्तापूर्वक हस्तगत किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- 21- निविदा की विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बाँदा होगा।
- 22- निविदादाता को इस प्रकार के कार्यों का सन्तोषजनक सम्पन्न करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।
- 23- बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित है, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
- 24- शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2/ऑडिट/08 टी.सी.-2/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार टेकेदार द्वारा निविदा में दी गयी बी0ओ0क्यू0 की दरों से 10 प्रतिशत तक कम दरें प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रत्येक एक प्रतिशत कम दर हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि जमा करनी होगी तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दरें प्राप्त होने पर एक प्रतिशत प्रत्येक 01 प्रतिशत कम दर हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि जमा करने पर ही अनुबन्ध का गठन किया जाएगा।
- 25- निविदादाता द्वारा कार्यस्थल पर निर्माण कार्य के दौरान भवन में किसी भी प्रकार की क्षति का दायित्व से सम्बन्धित शपथ पत्र रु० 100 नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर एवं भवन के आस पास निर्मित इमारतें/भवनों की सुरक्षा सम्बन्धी शपथ पत्र रु० 100 नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा।
- 26- निविदा की बी.ओ.क्यू. में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिये टेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व टेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा तथा कार्यस्थल में परिवर्तन होने पर उपरोक्तानुसार निविदादाता को परिवर्तित कार्यस्थल मान्य होगा।
- 27- किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रूप से विलंबित होने के कारण बिड अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
- 28- उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड - 19 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
- 29- निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 3 माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित निविदा के साथ रु० 100.00 का नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर रु० 1.00 का रेवेन्यू स्टॉम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 30- निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस जी0एस0टी0(टी0डी0एस0) रोयल्टी तथा अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
- 31- शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण एवं हस्तान्तरण होने के पश्चात् तीन वर्ष होगी तथा यह धनराशि कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत धनराशि कैश/एफ0डी0आर0 के रूप में रोकी जायेगी एवं उक्त धनराशि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष पूर्ण होना के पश्चात् ही अवमुक्त की जाएगी।
- 32- शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैंड, स्टोन ग्रेट/बैलास्ट इत्यादि पर रॉयल्टी भुगतान की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एव सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या-3385-2015-292/2015 दिनांक 15/10/2015 के अनुपालन में यदि टेकेदार/फर्म नियमानुसार रोयल्टी प्रपत्र जमा नहीं करती है तो निर्धारित रॉयल्टी की धनराशि के अतिरिक्त पांच गुना धनराशि फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
- 33- वर्तमान में कार्य कर रहे जिन टेकेदारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।



- 34- परियोजना पर शासन से धनराशि समय से उपलब्ध न होने के कारण यदि कार्य के भुगतान में विलम्ब होता है तो इसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 35- निर्माण कार्य हेतु मृदुजल की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
- 36- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 37- ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- 38- उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग से धनराशि तद्दिनांक तक प्राप्त नहीं है, धनराशि प्राप्त होने के बाद ही निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- 39- वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड NGT/TIM की निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार किया जाना होगा।
- 40- सम्बन्धित विभाग को कार्य हस्तगन कराने की जिम्मेदारी फर्म की होगी जिसके उपरान्त ही अंतिम भुगतान किया जाएगा एवं सिक्योरिटी की धनराशि प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
- 41- निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
- 42- कार्य की प्राथमिकता के अनुसार उ0प्र0 शासन से समय-समय पर धन अवमुक्त होने के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गए कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 43- सशर्त अथवा प्रतिबंधित निविदा मान्य नहीं होगी।

भवदीय

( विकास गौतम )  
अधिसाषी अभियन्ता

पत्रांक : 265 / उपरोक्तानुसार / AC-11 / 18 /

दिनांक : 02/03/2024

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1- निदेशक, ग्लोबल कन्सल्टेशन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी।
- 3- सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड—बुन्देलखण्ड—02 बाँदा।
- 4- प्रशासनिक अधिकारी/कैशियर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड— बुन्देलखण्ड 02 बाँदा।
- 5- इन्वार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को परिषद वेब—साइट पर प्रचारित प्रसारित करने हेतु।
- 6- नोटिस बोर्ड।

अधिसाषी अभियन्ता